कार्यालय प्रयोगार्थ

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
2023–24

हिमाचल प्रदेश सरकार
जन–जातीय विकास विभाग

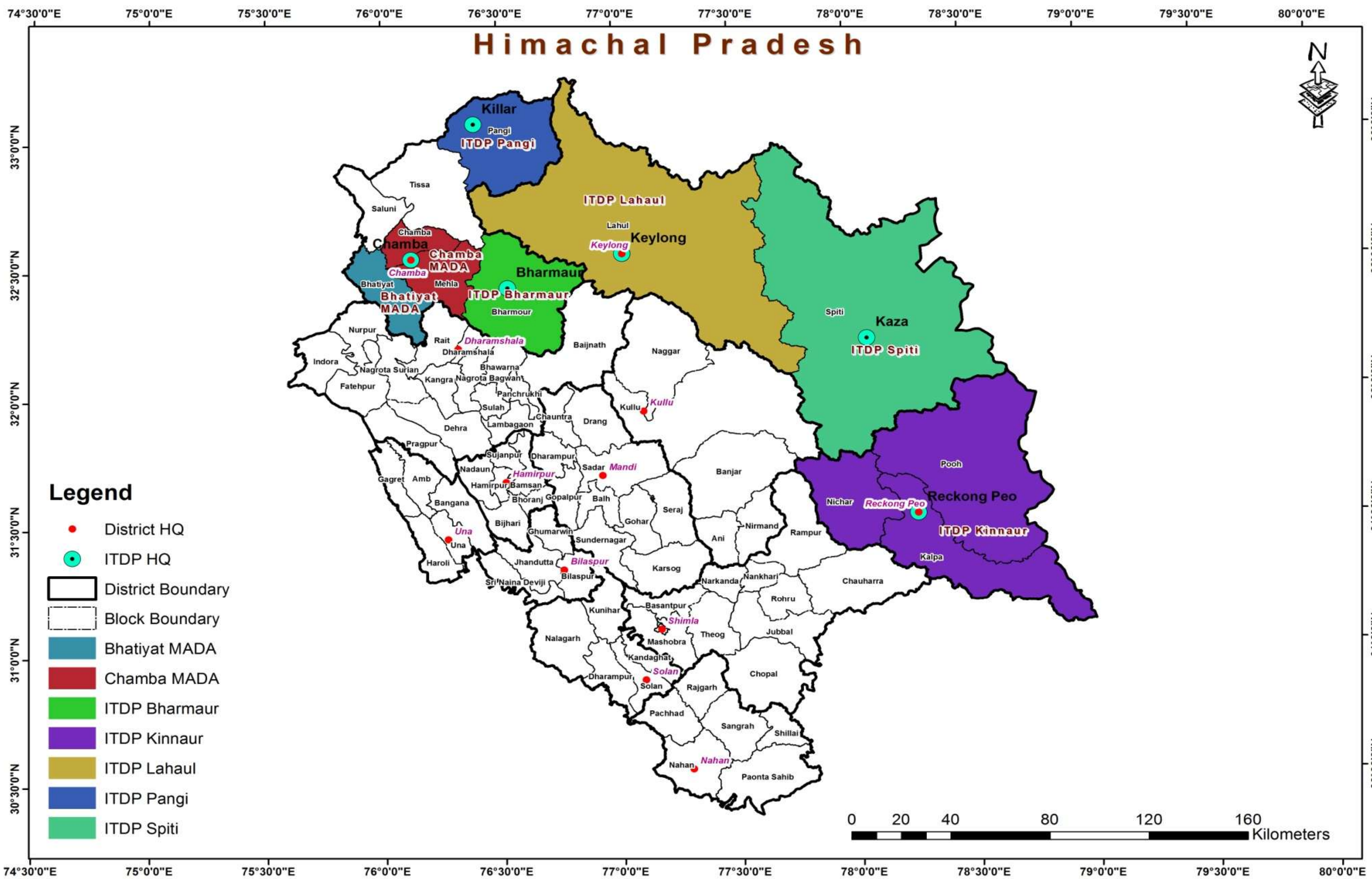

Himachal Pradesh
Legend
District HQ
ITDP HQ
District Boundary
Block Boundary
Bhatiyat MADA
Chamba MADA
ITDP Bharmaur
ITDP Kinnaur
ITDP Lahaul
ITDP Pangi
ITDP Spiti
ITDP Pangi
Killar
Pangi
ITDP Lahaul
Lahul
Keylong
Chamba MADA
Chamba
Bhatiyat MADA
Bhatiyat
Mehla
ITDP Bharmaur
Bharmaur
Bharmour
Kaza
Spiti
ITDP Spiti
Reckong Peo
ITDP Kinnaur
Pooh
Nichar
Kalpa
Tissa
Saluni
Nurpur
Indora
Fatehpur
Dharamshala
Kangra
Kullu
Mandi
Hamirpur
Una
Bilaspur
Shimla
Solan
Nahan
0 20 40 80 120 160 Kilometers

विषय–सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
1.	पृष्ठ भूमि एवं प्रस्तावना	1–3
2.	जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति तथा कार्यक्रम	4–10
3.	अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र	11–15
4.	सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005	16–31
अनुबन्ध		
1.	जनजातीय विकास विभाग संगठन चार्ट	32
2.	शीर्ष/विभागवार वास्तविक व्यय 2021–22 तथा अनुमोदित परिव्यय एवं सम्भावित व्यय 2022–23	33–38

अध्याय–1

पृष्ठभूमि एवं प्रस्तावना

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल जनजातीय आबादी 3,92,126 है जो कि प्रदेश की सम्पूर्ण आबादी का 5.71 प्रतिशत है जिसमें से 1,23,585 जनजातीय क्षेत्र में तथा 2,68,541 गैर जनजातीय क्षेत्र में रह रही है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र किन्नौर, लाहौल–स्पिति, पांगी तथा भरमौर परियोजना क्षेत्रों में 31.52 प्रतिशत जनजातीय समुदाय निवास करता है। जनजातीय आबादी का मुख्य जमाव प्रदेश के जिला किन्नौर, लाहौल–स्पिति, चम्बा, कांगड़ा में है इसके अतिरिक्त उनकी उपस्थिति कुल्लू, मण्डी, ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला तथा सिरमौर जिलों में भी है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1974–75 में जनजातीय क्षेत्रों के लिए जनजातीय उप–योजना का प्रारम्भ हुआ तथा इसके अच्छे परिणाम के उद्देश्य से जनजातीय उप–योजना के कार्यान्वयन हेतु एक सामरिक नीति तैयार की गई। 9 जून, 1976 को जनजातीय विकास विभाग की स्थापना की गई और आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग, को विभागाध्यक्ष बनाया गया तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में परियोजना अधिकारी तैनात किये गये। वर्ष 1981 में इस विभाग में अनुसूचित जाति के कल्याण सम्बन्धी विशेष घटक योजना को भी शामिल किया गया जिसके उपरान्त इसका नाम अनुसूचित जाति एवं अनसुचित जनजाति विकास विभाग रखा गया। मई, 2002 में अनुसूचित जाति कल्याण से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (कल्याण विभाग) को स्थानांतरित होने से अब इस विभाग को जनजातीय विकास विभाग के नाम से जाना जाता है।

1.1 **विभाग का संगठनात्मक ढांचा**.––वर्ष 2023–24 के दौरान जनजातीय विकास विभाग का प्रभार माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी मन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार के पास रहा। श्री ओ0सी0 शर्मा, भा0प्र0से0 ने अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं आयुक्त (ज0जा0वि0) के रूप में माननीय जनजातीय विकास मन्त्री महोदय को सहयोग दिया। क्षेत्रीय स्तर पर 5 स्थानों पर एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यालय क्रमशः किन्नौर (रिकांगपिओ), लाहौल (केलांग), स्पिति (काजा), पांगी (किलाड़) तथा भरमौर कार्यरत हैं। इन सभी कार्यालयों का नियन्त्रण मुख्यालय स्तर पर है। विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबन्ध–I** पर है।

1.2 **विभाग के विषयों का आबंटन** :–

(1) अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में सामाजिक सुरक्षा
(2) जनजातीय कल्याण योजना, नीति निर्धारण करना, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण देना
(3) अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रवृत्तियां
(4) अनुसूचित जनजातियों के विकास में स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देना
(5) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन
(6) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना।
(7) राज्य योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता/प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना तथा वित्तीय संस्थानों से चिन्हांकित की जाने वाली धनराशि का प्रवाह जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की ओर सुनिश्चित करना।
(8) जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक उचित प्रशासनिक ढांचे का सृजन तथा उचित कार्मिक नीति का अपनाया जाना।
(9) अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास के कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय हेतु जनजातीय विकास विभाग **"नोडल विभाग"** है

1.3 जनजातीय विकास कार्यनीति –ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :

जनजातीय लोगों एवं जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट विकास कार्यनीति विकसित करने के लिए जनजातीय उप–योजना का आरम्भ पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1974–75 में हुआ था। जनजातीय उप–योजना (जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम) के लिए अपनाई गई सामरिक नीति के मुख्य अंश हैं:

(1) प्रदेश में ऐसे विकास खण्डों को चिन्हांकित करना जहां पर जनजातीय जनसंख्या बाहुल्य है तथा ऐसे क्षेत्रों को एकीकृत विकास एवं परियोजना आधारित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना बनाया गया।

(2) राज्य योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता/प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना तथा वित्तीय संस्थानों से चिन्हांकित की जाने वाली धनराशि का प्रवाह जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की ओर सुनिश्चित किया जाना, तथा

(3) जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक उचित प्रशासनिक ढांचे का सृजन तथा उचित कार्मिक नीति का अपनाया जाना। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उप–योजना के लिए अपनाई गई सामरिक नीति के अच्छे परिणाम सामने आए हैं तथा जनजातीय क्षेत्र व वहां के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में गति आई है। सामरिक नीति द्वारा समान्यतः योजना निर्माताओं तथा योजना क्रियान्वयनकर्ताओं के ध्यान को जनजातीय समुदायों तथा जनजातीय क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं की ओर आकर्षित किया गया है तथा इन क्षेत्रों एवं समुदायों के विकास को अधिक समेकित रूप से किये जाने पर बल दिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय क्षेत्रों में निवेश में एक विशेष उछाल आया है।

इसके अतिरिक्त आठवीं योजना के अन्त में जनजातीय उप–योजना के निर्माण में महाराष्ट्र पद्धति का सूत्रपात किए जाने से एक मूलभूत परिवर्तन हुआ है। पूर्व योजना निर्माण की प्रक्रिया को शिखर से तह तक बिल्कुल विपरीत कर दिया गया तथा पृथकीकृत योजना निर्माण एकीकृत जनजातीय क्षेत्रों पर आधारित, आरम्भ की गई। इस प्रकार के प्रबन्ध से जनजातीय विकास विभाग जनजातीय क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की महत्ता निर्धारित करने तथा उन्हें आवश्यकतामूलक बनाने में सक्षम हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में अपनाई गई इस प्रक्रिया को जारी रखा गया है। भारत के योजना आयोग तथा कल्याण मन्त्रालय अब जनजातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997–2002 में लोगों के लिए आधारभूत न्यूनतम सेवाओं, गरीबी उन्मूलन तथा खाद्यान्न सुरक्षित किए जाने के प्रावधान आदि के क्रियान्वयन पर अधिक बल दिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के जीवन–स्तर में सुधार सुनिश्चित किए जाने के उद्‌देश्य से सात मूलभूत न्यूनतम सेवाएं जैसे पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक शिक्षा, आश्रय रहित लोगों को मकान, प्राथमिक स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था, ग्रामों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण तथा लोक वितरण प्रणाली को नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2002–2007 तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007–2012 के दौरान आर्थिक सेवाएं क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई जिसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, ग्रामीण विकास, लघु सिंचाई तथा यातायात को प्राथमिकता दी गई।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012–17 में जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत आर्थिक विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी गई जिसमें सड़कें, यातायात, कृषि, बागवानी तथा सम्बद्ध सेवाओं को प्राथमिकता दी गई। वार्षिक योजना 1991–92 से लेकर जनजातीय उप–योजना (जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम) का आकार प्रदेश की सम्पूर्ण वार्षिक योजना का 9 प्रतिशत ही रखा जा रहा है।

1.4 जनजातीय विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण जनजातीय विकास के लिए निधियां निम्नलिखित स्त्रोतों से आती हैं :–

1. राज्य विकास बजट
2. केन्द्रीय विकास बजट
3. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

1.5 जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यकम 2023–24 के तहत उपलब्ध राशि का सैक्टरवार ब्योरा :

(रु0 लाखों में)

सैक्टर	परिव्यय	सम्भावित व्यय
राज्य विकास बजट	85564.00	85564.00
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	150.00	150.00
कुल	**85714.00**	**85714.00**
केन्द्रीय विकास बजट	33488.00	33488.00
कुल योग.....	**119202.00**	**119202.00**

वित्त वर्ष 2022–23 में राज्य विकास बजट के अर्न्तगत वास्तिविक व्यय तथा 2023–24 का परिव्यय एवं सम्भावित व्यय का ब्योरा **अनुबन्ध–2** पर है।

अध्याय–2

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति तथा कार्यक्रम

जनजातीय विकास के लिए अपनाई गई प्रक्रियाः जनजातीय विकास विभाग अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास हेतु कार्यक्रमों का समन्वय करने तथा प्रदेश व केन्द्र सरकार की सभी नीतियों और योजनाओं को निरूपित करने वाला नोडल विभाग (Nodal Department) है। इन समुदायों के विकास हेतु योजनाओं एवं सेक्टोरल कार्यक्रमों के सम्बन्ध में नीतियों एवं योजनाओं का निरूपण करने तथा उनका निरीक्षण, मूल्यांकन एवं उनके समन्वय का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/विभागों के प्रशासकों का है। जनजातीय विकास विभाग प्रदेश के अनुसूचित जनजाति समुदायों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में प्रत्येक विभाग के प्रयासों को समर्थन देता है तथा जिन विभागों को स्कीमों/कार्यक्रमों के संचालन में मुश्किल आती है उन्हें दूर करने में समन्वय स्थापित करता है।

जनजातीय सम्बन्धित नीति के अन्तर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों का अधिक प्रभावी एवं एकीकृत ढंग से कार्यान्वयन किया जाये, इसके लिए उचित प्रशासनिक ढांचे का सृजन, उचित कार्मिक नीति तथा वित्तीय व्यवस्था अपनाई गई है।

जनजातीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई सामरिक–नीति से अनुसूचित क्षेत्रों तथा वहां रह रहे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य से योजना तथा गैर–योजना स्कीमों के लिए निर्धारित बजट के क्षेत्रवार सदुपयोग के लिए पृथक मांग का सृजन किया गया है। वर्ष 1981–82 में सृजित की गई इस मांग का नाम मांग संख्या–35 था जो अब मांग संख्या–31 है। इस मांग का संचालन एवं नियन्त्रण, जनजातीय विकास विभाग के पास है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, जलवायु तथा आर्थिक स्थिति भिन्न होने के कारण इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित/आबंटित राशि केवल मात्र इन्हीं क्षेत्रों में खर्च हो तथा क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार विकास हो, के उद्देश्य से यहां के भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या अनुपात तथा आर्थिक पिछड़ेपन को आधार मानते हुए राशि आबंटन की क्षेत्रवार प्रतिशतता निर्धारित की गई है जो निम्नोक्त है :

किन्नौर	30 प्रतिशत
लाहौल	18 प्रतिशत
स्पिति	16 प्रतिशत
पांगी	17 प्रतिशत
भरमौर	19 प्रतिशत

राज्य सरकार की योजना नीति अनुसार अनुसूचित जनजातीय विकास के लिए राज्य सरकार के योजना विभाग द्वारा जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए राज्य की कुल योजना राशि का 9 प्रतिशत भाग चिन्हांकित किया जाता है जो प्रदेश की जनजातीय आबादी तथा अनुसूचित क्षेत्रों पर सैक्टोरल प्राथमिकता के आधार पर व्यय किया जाता है।

जनजातीय विकास कार्यक्रम को विशेष केन्द्रीय सहायता/प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनाः विशेष केन्द्रीय सहायता राशि जनजातीय विकास कार्यक्रम के योगज के रूप में जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में प्रदेश सरकार के प्रयासों में मदद करती है। पूर्व में इसका उद्देश्य जहां मूल रूप से परिवार आधारित आय–सृजन कार्यकलापों में मुख्य अन्तर को भरना था अब इसका दायरा बढ़ाकर इसमें न केवल परिवार आधारित रोजगार एवं आय सृजन कार्यकलापों को बल्कि सामुदायिक कार्यकलापों को भी शामिल कर लिया गया। इस कार्यक्रम के अधीन निर्धारित दिशा–निर्देशों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं :

1. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनजातीय आबादी को सहायता
2. विशेष केन्द्रीय सहायता/प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना राशि का व्यय प्राथमिक योजनाओं जैसे परिवार/स्वयं सहायता समूह/कृषि बागवानी, भूमि सुधार, सिंचाई, पशुपालन, लघु क्षेत्र के उद्योगों में उद्यमित विकास, समुदाय आधारित रोजगार एवं आय–सृजन के लिए किया जाना।
3. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं हेतु दीर्घकालिक लघु योजनाएं तैयार करना
4. विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों का एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना बार निर्धारण करना
5. प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदानः संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों में विकास की उन परियोजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाता है जिन्हें राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को राज्य के शेष भागों के स्तर तक ऊंचा उठाना चाहती है। वर्ष 2023–24 में इस योजना के अन्तर्गत जनजातीय कार्य मन्त्रालय द्वारा 1696.45 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमः इस योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भी भारत सरकार के गृह मन्त्रालय का सीमा प्रबन्धन विभाग वार्षिक आधार पर धनराशि उपलब्ध करवाता है। प्रथम बार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1998–99 में रु0 4.00 करोड़ रुपये जनजातीय उप–योजना के अतिरिक्त प्राप्त हुए जो कि 2002–03 में बढ़कर रु0 10.97 करोड़ रुपये हो गए। परन्तु वर्ष 2003–04 से इसका प्रावधान जनजातीय उप–योजना में ही किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की 90:10 की भागीदारी में क्रियान्वित किया जा रहा है। पिछले वर्षों की अवधि में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित बज़ट/परिव्यय का वर्षवार ब्योरा निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	बजट/परिव्यय (लाखों में)
2002–03	1097.85
2003–04	416.00
2004–05	1148.96
2005–06	642.05
2006–07	1269.00
2007–08	1119.00
2008–09	1297.00
2009–10	1276.00
2010–11	1280.00
2011–12	2000.00
2012–13	2320.00
2013–14	2100.00
2014–15	2100.00
2015–16	2310.00

(राशि लाख रुपये)

वर्ष	केन्द्रीय हिस्सा (90 प्रतिशत)	राज्य हिस्सा (10 प्रतिशत)	कुल
2016–17	3100.00	344.44	3444.44
2017–18	3500.00	278.00	3778.00
2018–19	2595.00	399.44	2994.43
2019–20	2749.53	305.50	3055.05
2020–21	–	–	–
2021–22	279.09	31.01	310.10
2022–23	1859.00	206.56	2065.56

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्रामः वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वर्ष 2023–24 में ग्रह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हि0 प्र0 के कुल 703 सांकेतिक गांवों में से 75 गांवो (सीमावर्ती ब्लॉक कल्पा से 14 गांव, सीमावर्ती ब्लॉक पूह से 41 गांव और सीमावर्ती ब्लॉक स्पिती से 20 गांव) वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक चिन्हित किए गए हैं। यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की 90:10 की भागीदारी में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 3.87 करोड़ रुपये की राशि केवल 14 कार्यों के लिए In Principal के रुप में मंजूरी दी है तथा 28 दिसंबर, 2023 को 87.08 लाख रुपये केन्द्रीय हिस्सेदारी के रुप में स्वीकृत राशि का 25% (90%) जारी किया है।

नाभिक बजटः ऐसे स्थानीय विकासात्मक कार्यों जिनके लिए वर्ष के दौरान बजट उपलब्ध नहीं हो पाता परन्तु इन कार्यों के निष्पादन की नितान्त आवश्यकता प्रतीत होती हो, के कार्यान्वयन हेतु नाभिक बजट के तहत प्रत्येक स्कीम/कार्य के लिए 3.00 लाख तक की धनराशि आबंटित की जाती है। वर्ष 2023–24 में जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर में 180.00 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई।

विकास में जन सहयोग तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत 820.00 लाख रुपये व्यय किए गए।

जनजातीय विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियां:

जनजातीय लोगों की जीवन पद्धति पर्यावरण के अनुकूल, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप है। जनजातीय लोग पूर्णतया पारिस्थितिक लोग होते हैं। यद्यपि जनजातीय समुदाय प्रदेश भर में फैले हुए हैं लेकिन अधिकांश जनजातीय आबादी प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर में रहती है जो अत्यन्त पिछड़े तथा सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं। ये विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं जहां आधारभूत सुविधाओं तथा रोजगार के अवसरों का नितान्त अभाव है। प्रदेश में जहां जनसंख्या घनत्व 123 है वहीं इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व केवल 7 है।

सड़कें एवं पुलः पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष 1974–75 में जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों की कुल लम्बाई मात्र 684 कि0मी0 थी। जनजातीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में 31–03–2024 तक 2956.00 कि0 मी0 मोटर योग्य सड़कों का निर्माण किया गया जिसमें से 1692 कि0मी0 पक्की सड़कें हैं। इन क्षेत्रों के विकास हेतु एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना पद्धति तथा प्रत्येक परियोजना क्षेत्रों के लिए पृथक बजट निर्धारण के परिणामस्वरूप 3/2024 तक जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति इस प्रकार हैः–

Category	Motorable road length in Kms		
	Single Lane	**Double Lane**	**Total**
(A) STATE ROADS			
(I) Major District Roads	41.500	0.000	41.500
(II) Other Rural Roads	2262.985	15.960	2271.945
Total:	**2304.485**	**15.960**	**2320.445**
(B) CENTRAL ROADS			
(I) National Highways	22.000	78.000	100.00
(II) Border Roads with DGBR	257.950	277.69	535.64
Total:	**279.95**	**355.69**	**635.64**
(C) Total road length upto 3/2024	**2584.435**	**371.650**	**2956.085**
Road Density achieved Kms (per 100 Sq. Km)			**12.50**
Metalled & tarred length out of total length of 2837 Km			1692 (59.64%)
Villages connected upto 31-03-2024 (out of 480 No. villages in Tribal area)			291 (60.63%)

सिंचाई व्यवस्थाः अनुसूचित जनजातीय लोगों के पास मुख्यतः ऐसी भूमि है जो सिंचाई हेतु वर्षा या बर्फ पर आश्रित है तथा इसी कारण इनकी उत्पादकता कम है। दुर्गम तथा ऊंची–नीची पहाड़ी भूमि होने के कारण सिंचाई की पुख्ता व्यवस्था अधिकांश जगहों पर नहीं है। राज्य सरकार का प्रयास है कि उचित तकनीकी, जलसांभर (वाटर शैड) जलसंग्रह, लघु सिंचाई की सहायता से जनजातीय भूमि की आवश्यक नमीधारण क्षमता का विकास किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 2023–24 में लघु सिंचाई के अन्तर्गत 14.51 करोड रुपये का मूल प्रावधान किया गया।

शिक्षाः सामाजिक उत्थान में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि सामाजिक एवं पर्यावरण वास्तविकताओं के बारे में जागरूक करने के इलावा राष्ट्र के आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ है। जहां वर्ष 1971 की जनगणना में साक्षरता दर 21.99 प्रतिशत थी वहीं 2011 की जनगणना में यह 77.10 प्रतिशत हो गई है जबकि प्रदेश की साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत है। जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष 1976–77 तथा 2023–24 में विभिन्न शिक्षण संस्थानों का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0	शिक्षण संस्थान	वर्ष 1976–77	वर्ष 2023–24
1.	प्राथमिक पाठशाला	280	474
2.	माध्यमिक पाठशाला	50	73
3.	उच्च पाठशाला	24	57
4.	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला	–	97

इसके अतिरिक्त 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 2 नवोदय विद्यालय, 2 केन्द्रीय विद्यालय तथा 4 महाविद्यालय हैं। लगभग प्रत्येक गांव में प्राथमिक पाठशालाएं हैं और बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए 1–1.5 कि0मी0 से अधिक नहीं चलना पड़ता है। इसी प्रकार 2–3 कि0मी0 की दूरी पर माध्यमिक पाठशाला स्थापित है। बच्चों को अधिक दूरी तय न करनी पड़े इसके लिए उचित स्थानों पर छात्रावास/आवासीय स्कूलों की सुविधा भी उपलब्ध है। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को अधिक से अधिक

बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं/प्रोत्साहन प्रदान किए गये हैं जो कि इस प्रकार से हैः–

(1) आई0 आर0 डी0 पी0 छात्रवृत्ति
(2) लाहौल–स्पिति पद्धति पर छात्रवृत्ति
(3) निशुःल्क पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा लड़कियों को मुफ्त वर्दी
(4) प्राथमिक/माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को Hot Mid Day Meal
(5) Post Matric Scholarship
(6) Merit Scholarship to ST Boys/Girls
(7) ठाकुर सेन नेगी Meritorius Scholarship

अनुसूचित जनजातीय लड़कियों/लड़कों के छात्रावास की योजनाः अनुसूचित जनजातीय लड़कियों/लड़कों के लिए छात्रावास की योजना का प्रारम्भ प्रदेश में वर्ष 1997–98 में किया गया था। छात्रावासों की योजना अनुसूचित जनजातियों के लड़के/लड़कियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए एक लाभदायक तन्त्र है। इस योजना के अन्तर्गत नए छात्रावास भवनों के निर्माण तथा विद्यमान छात्रावासों के विस्तार के लिए जनजातीय कार्य मन्त्रालय द्वारा केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा योजना के अन्तर्गत छात्रावासों के निर्माण व विस्तार हेतु केन्द्र तथा राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में बराबर–बराबर लागत वहन की जाती थी। वर्ष 2009–10 से इस योजना के अन्तर्गत छात्राओं के छात्रावास के निर्माण हेतु शत–प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना/राजीव गांधी आवास योजना/मुख्य मंत्री आवास योजनाः ग्रामीण विकास विभाग की इस योजना के अन्तर्गत प्रति आवास रु0 1,50,000/– की राशि निर्धारित की गई है। वर्ष 2023–24 में इन कार्यक्रमों के तहत मु0 143.00 लाख रुपये का मूल प्रावधान किया गया।

स्वास्थ्यः जनजातीय क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत वर्ष 2023–24 के दौरान 8 जिला/नागरिक चिकित्सालय, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 105 उप–स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत रहे।

पशुपालनः जनजातीय समुदाय का कृषि के साथ पशुपालन भी मुख्य व्यवसाय है, जिसके दृष्टिगत वर्ष 2023–24 के दौरान इन क्षेत्रों में 52 पशु चिकित्सालय/केन्द्रीय पशु चिकित्सालय तथा 115 पशु औषधालय कार्यरत रहे।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, सोलनः इस निगम द्वारा प्रदेश के जनजातीय लोगों के विकास व आर्थिक उत्थान के लिए व्यापक पग उठाये हैं जिसमें मुख्यतः स्वरोजगार स्कीमें, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए न्यूनतम दर पर बैंक ऋण सुविधा व परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत सीमान्त पूंजी जो कि मु0 10,000/– अधिकतम है, का प्रावधान है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006: भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रथम चरण में जनजातीय क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया था तथा द्वितीय चरण में मार्च, 2012 से यह अधिनियम गैर जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। मार्च, 2024 तक 146 मामलों में 25364.6169 है0 पर सामुदायिक तथा 513 मामलों में 44.4947 है0 पर व्यक्तिगत वन अधिकारों के पट्टे वितरित किए गए तथा अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए परिवर्तन के 4418 मामले दिसम्बर, 2024 तक स्वीकृत किए गए।

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों में रह रहे अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों जो कि पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे हैं परन्तु उनके अधिकारों को अंकित नहीं किया जा सका तथा वन भूमि पर व्यवसाय, को पहचानना और चिन्हित करना है तथा इसके लिए रूपरेखा का प्रबन्ध तथा क्रियान्वयन करना है। कोई भी जनजातीय व्यक्ति या समुदाय ग्राम सभा के सम्मुख निम्न शर्तों के आधार पर दावा प्रस्तुत कर सकता हैः

- वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो
- स्थाई जीविका हेतु वन पर निर्भर हो
- 13 दिसम्बर, 2005 से पहले वन भूमि का अभिग्रहण (कब्जा) तथा 2 जनवरी, 2007 तक निरन्तर स्वामित्व हो।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996ः पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996 लघु वन उत्पाद का स्वामित्व सम्बन्धित ग्राम सभा को सौंपने की व्यवस्था करता है तथा यह अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है।

राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची में समावेश करने तथा इसका संशोधन करने हेतु अनुसूचित क्षेत्रों विशेषतः किन्नौर तथा लाहौल–स्पिति जिलों में पीढ़ी दर पीढ़ी से निवास कर रहे मूल अनुसूचित जाति समुदाय की मांग थी कि राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि पंचायत, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार, अधिनियम, 1996 में पंचायती राज संस्थाओं के पदों को भरने में इन क्षेत्रों के मूल अनुसूचित जाति समुदाय को भी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप भाग लेने का हक मिल सके। इस प्रकार की मांग को पूरा करने हेतु Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 पारित किया गया, जो दिनांक 7–01–2003 से लागू है। इस विभाग के पत्र दिनांक 13–01–2003 द्वारा सभी विभागों/बोर्डों/निगमों को Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में उचित प्रविष्टियां करने के आदेश जारी किये गये हैं।

जनजातीय अनुसन्धान संस्थानः जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की योजना "Support to Tribal Research Institute (TRI)" के अन्तर्गत जनजातीय अनुसंधान को वर्ष 2018 में जनजातीय विकास विभाग में ही स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित और स्वीकृत किये जाते हैं जिस पर शत्–प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान का मुख्य उद्देश्य जनजातियों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अनुसन्धान और मूल्यांकन अध्ययन, विचार–गोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजन तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण तथा जनजातीय उप–योजना तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करना है।

अनुसूचित जनजाति समुदायों के शिक्षा व सामाजिक सुधार कार्य में लगे गैर– सरकारी संगठनों को वितीय सहायता अनुदान योजनाः इस योजना के अन्तर्गत छात्रावास, आवासीय विद्यालय, गैर–आवासीय विद्यालय हेतु जनजातीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2022–23 के दौरान जनजातियों से सम्बन्धित 5 गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्ताव जनजातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किए गए जो निम्न प्रकार हैंः–

1.	द इन्स्टीटयूट ऑफ स्टडीज़ इन बुद्धिस्ट फिलोसिफी एण्ड ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी, ताबो, स्पिति जिला लाहौल–स्पिति।	आवासीय स्कूल
2.	रिंचन जंगपो सोसाईटी फॉर स्पिति डवैलपमैन्ट स्थित योल कैन्ट जिला कांगड़ा।	आवासीय स्कूल

3.	हिमालयन बुद्धिस्ट कलचरल ऐसोसियेशन, बटाहर बिहाल, डा0 घर हरिपुर, जिला कुल्लू।	आवासीय स्कूल
4.	बुद्धिस्ट कलचरल सोसाईटी कीह गोम्पा, स्पिति जिला लाहौल–स्पिति।	छात्रावास
5.	रमधा बुद्धिस्ट सोसायटी, सिद्धपुर धर्मशाला, जिला कांगड़ा	छात्रावास

अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः इस योजना का प्रयोजन अनुसूचित जनजातियों के उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो मान्यता प्राप्त संस्थानों से मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठयक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं। इस योजना में विभिन्न स्तरों के व्यावसायिक, तकनीकी तथा अव्यावसायिक व अतकनीकी पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्तिम वर्ष 2001–02 में किया गया व्यय राज्य सरकार का प्रतिबद्ध देयता व्यय बन गया है जिसे वर्ष 2002 से आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से प्रत्येक वर्ष के दौरान वहन किया जाना अपेक्षित है।

(रुपये लाखों में)

वर्ष	लाभार्थी	राज्य प्रतिबद्ध देय	भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त राशि	कुल
2003–04	3262	36.10	1.31	37.41
2004–05	3600	36.10	7.86	43.96
2005–06	4000	36.10	6.61	42.71
2006–07	3930	36.09	49.31	85.40
2007–08	4716		17.09	17.09
2008–09	2271		10.00	44.62
2009–10	2368		49.94	49.94
2010–11	2816		113.99	113.99
2011–12	4688		1141.84	1141.84
2012–13	3606		1196.70	1196.70
2013–14	4550		1290.32	1290.32
2014–15	2249		1273.76	1273.76
2015–16	6342		1350.00	1350.00
2016–17	3739		931.36	931.36
2017–18	2204		3125.36	3125.36
2018–19	4729		278.15	278.15
2019–20	2346		913.00	913.00
2020–21	2422		355.16	355.16
2021–22	3287		520.91	520.91
2022–23	4270		761.48	761.48
2023–24	4390		986.16	986.16

संशोधित योजना के अनुसार दिनांक 01–04–2003 तथा 01–07–2010 से मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों को 4 वर्ग में बांटा गया है और प्रतिमास अनुरक्षण भत्ता निर्धारित किया गया है। यह योजना 90:10 के अनुपात से प्रायोजित है तथा इसके अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों की निर्धारित वार्षिक आय सीमा 2,50,000 है।

अध्याय–3

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियांः

भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया है। इसलिए अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ उन समुदायों के लिए किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारम्भिक लोक अधिसूचना के जरिए इस प्रकार घोषित किया है, अनुसूचित जनजाति के माने जायेंगे। इस सूची में आगे कोई भी संशोधन संसद के अधिनियम के माध्यम से किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशेष से सम्बन्धित है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति घोषित किया हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय के लोग अनुसूचित जाति ही माने जाएं। अनुसूचित जनजाति का पता लगाने की जो जरूरी विशेषताएं होनी चाहिए उनका निर्धारण एक समिति द्वारा किया गया तथा ये विशेषताएं हैंः–

(क) आदिम जनजातीय गुण,
(ख) अनूठी संस्कृति,
(ग) आम लोगों से संपर्क करने में कतराना,
(घ) भौगोलिक अलगाव, और
(ङ) पिछड़ापन–सामाजिक और आर्थिक

अनुसूचित जनजातियों को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 08–01–2003, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम संशोधन ऐक्ट, 2002 में पंजाब के कुछ क्षेत्र जो हिमाचल में विलय हुए थे, में निवास कर रहे गद्दी व गुज्जरों को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान (अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, 1950–V के खण्ड अधिनियम में 9 और 10 पर निम्न जातियों के इन्द्राज को भी शामिल किया गया।

9. बेटा, बेडा
10. डोम्बा, गारा, जोबा

हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के अधिक दूरदराज क्षेत्र, जलवायु व भौगोलिक परिदृष्टि से विषम तथा आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों को भी जनजातीय क्षेत्र घोषित कराने और इस मामले को भारत सरकार से उठाने में सतत प्रयासरत है। इस संदर्भ में जिला सिरमौर गिरीपार क्षेत्र के सम्बन्ध में लोकुर समिति द्वारा तय किये गये मापदण्डों पर जनजातीय अध्ययन संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट जनजातीय मन्त्रालय को भेजी गई। इसके बाद सचिव, भारत सरकार जनजातीय कार्य मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में एक पूर्ण नृवंश विज्ञान (Ethnographical) अध्ययन करवाने और जल्द से जल्द मन्त्रालय को एक नया प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया, तदोपरान्त हाटी समुदाय को हि0 प्र0 की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संम्बध में ताजा एथनॉग्राफिक प्रस्ताव तैयार करके केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मन्त्रालय को 18 सितम्बर, 2021 और 3 मार्च, 2022 को भेजा गया। यह प्रस्ताव लोकुर समिति के मानकों के आधार पर तैयार किया गया था, जो इस तरह से है– आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच और सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन। 10 मार्च, 2022 को माननीय केंद्रीय गृह मन्त्री को भेजे गये पत्र में माननीय मुख्यमन्त्री ने आग्रह किया कि रजिस्ट्रर आफॅ इंडिया को ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश दिए जाएं। भारत सरकार द्वारा 14 सितम्बर, 2022 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मत्रिमंडल की बैठक में ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। सिरमौर जिला के ट्रांस गिरी क्षेत्र में

जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 2,51,657 में से 1,59,716 लोग को अनुसूचित जनजाति के दर्जे से लाभान्वित होगें।

जनजातियों का विवरणः

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या 3,92,126 है जो प्रदेश की कुल आबादी का 5.71 प्रतिशत है। जनजातियों की जनसंख्या में वर्ष 2001 से 2011 के बीच 50.48 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाई गई है जो कि मुख्यतः वर्ष 1966 में प्रदेश में सम्मिलित क्षेत्रों (जिला कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू तथा जिला सोलन के कंडाघाट तथा नालागढ़ उपमण्डल) में रह रहे गद्दी एवं गुज्जर समुदायों को वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से हुई है। जिला किन्नौर, जिला लाहौल–स्पिति, जिला चम्बा के पांगी तथा भरमौर तहसीलों में आधे से ज्यादा आबादी जनजातीय बहुलता की है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी बिखरी हुई है। जिला चम्बा के दो क्षेत्रों चम्बा तथा भटियात जिनमें जनजातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत या इससे अधिक है को MADA घोषित करके विशेष पॉकेट का दर्जा दिया गया है और विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पृथक से राशि का निर्धारण किया गया है।

प्रदेश का 42.49 प्रतिशत भाग जनजातीय जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है जिनमें ये परिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में जंगलों, पहाड़ों और अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। प्रदेश में रह रहे जनजातीय लोगों ने जहां एक ओर रहन–सहन के गैर–जनजातीय तौर–तरीके अपना लिए हैं वही दूसरी ओर ये (क) कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, (ख) स्थिर जनसंख्या, (ग) कम साक्षरता, तथा (घ) अर्थव्यवस्था के न्यूनतम स्तर की विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्न प्रकार से दर्शाया गया है :–

जनगणना वर्ष	जनजातीय क्षेत्र–वार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता						
	किन्नौर	लाहौल	स्पिति	पांगी	भरमौर	**कुल**	**राज्य**
2001	71.83	70.65	77.82	87.15	80.46	**75.61**	**4.02**
2011	57.95	79.36	84.64	90.18	82.12	**71.16**	**5.71**

प्रमुख जनजातियांः

भारत के संविधान (अनुसूचित जनजातीय) अधिनियम, 1950 के खण्ड–V तथा भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 8–01–2003 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम संशोधन ऐक्ट, 2002 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में उदृत जनजातियां निम्नोक्त हैंः–

1. भोट, बोढ़,
2. गद्दी,
3. गुज्जर,
4. जाद, लाम्बा, खम्पा,
5. कनौरा / किन्नारा,
6. लाहौला
7. पंगवाला,
8. स्वांगला,
9. बेटा, बेडा,
10. डोम्बा, गारा, जोबा।

जनसंख्या प्रोफाईलः वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10,42,81,034 है जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश में

अनुसूचित जनजातियों की संख्या 392126 है जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या की 5.71 प्रतिशत है।

जनसंख्या वृद्धिः जनजातीय जनसंख्या में वर्ष 1981 से 1991 की जनगणना के बीच के दशक के दौरान देश में 13.14 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है जबकि प्रदेश में यह बढ़ौतरी 20.79 प्रतिशत रही। जनगणना वर्ष 1991–2001 के बीच देश में जनजातीय जनसंख्या वृद्धि दर 9.88 प्रतिशत रही जबकि प्रदेश की यह बढ़ौतरी 17.54 प्रतिशत रही। 2001–2011 के बीच देश में जनजातीय जनसंख्या वृद्धि दर 23.70 प्रतिशत रही जबकि प्रदेश की यह बढ़ौतरी 50.48 प्रतिशत हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों की अधिकतम वृद्धि दर स्पिति में 16.65 प्रतिशत तथा न्यूनतम वृद्धि दर लाहौल में –15.25 प्रतिशत रही।

लिंग अनुपातः 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की समग्र जनसंख्या के लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष, 972 महिलाएं) की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुष के मुकाबले 877 महिलाएं हैं जो प्रदेश की तुलना में कम है विशेषकर किन्नौर तथा स्पिति में यह अन्य जनजातीय क्षेत्रों के मुकाबले कम है।

साक्षरताः 2001–2011 के बीच जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता दर 70.37 प्रतिशत से बढ़ कर 77.10 प्रतिशत हुई है जबकि प्रदेश में समग्र साक्षरता दर 76.50 प्रतिशत से बढ़ कर 82.80 प्रतिशत हुई है। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर 62.28 प्रतिशत से बढ़ कर 67.41 प्रतिशत वृद्धि हुई है। प्रदेश में समग्र महिला साक्षरता दर 67.40 प्रतिशत से बढ़ कर 75.93 प्रतिशत हुई है। जनगणना वर्ष 2001–2011 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों की साक्षरता दर का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है : –

	जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता दर						
	किन्नौर	लाहौल	स्पिति	पांगी	भरमौर	कुल	राज्य
2001 जनगणना							
कुल	75.27	72.64	74.10	60.30	62.18	70.37	76.50
पुरुष	84.44	81.23	86.40	74.60	73.53	81.00	85.00
महिला	64.77	61.60	58.70	44.20	67.64	62.28	67.40
2011 जनगणना							
कुल	80.00	74.97	79.76	71.02	73.85	77.10	82.80
पुरुष	87.27	84.59	87.37	82.52	82.55	85.50	89.53
महिला	70.96	64.50	70.74	59.27	64.67	67.41	75.93

स्वास्थ्य संकेतकः बाल मृत्यु दर का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में जिसमें जनजातीय क्षेत्र भी शामिल हैं, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। भारत व हिमाचल प्रदेश की तुलनात्मक स्थिति (SRS-2018 अनुसार) निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है :–

सूचकांक	शिशु मृत्यु दर / 1000	5 वर्ष या उससे नीचे मृत्यु दर / 1000	जन्म दर / 1000	मृत्यु दर / 1000
भारत	32	36	20.0	6.2
हिमाचल प्रदेश	19	23	15.7	6.9

राजनीतिकः

पांचवीं अनुसूची के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में राज्यों के राज्यपालों द्वारा भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 244 (1) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देने के लिए **राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद्** की स्थापना की गई है जिसमें वर्तमान में 18 सदस्य तथा 4 विशेष आमन्त्रित महिला सदस्य हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के सदस्यों के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे विधानसभा सदस्य भी इस परिषद के सदस्य हैं। सामान्यतः इस परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार होती है तथा अब तक इसकी 48 बैठकें हो चुकी हैं। यद्यपि यह परिषद् अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति से सम्बन्धित अपनी सलाह देती है परन्तु अधिकतर सुझाव राज्य सरकार द्वारा मान लिए जाते हैं।

अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का मुद्दाः यदि कोई व्यक्ति जन्म से एक अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित होने का दावा करता है तो यह प्रमाणित किया जाना चाहिए :

(1) कि वह व्यक्ति या उसके माता–पिता दावा किए गए समुदाय से वास्तव में सम्बन्धित हैं;
(2) कि वह या उसके माता–पिता/दादा–दादी आदि अधिसूचना की तारीख को सम्बन्धित क्षेत्र के स्थाई निवासी होने चाहिए;
(3) कि वह जाति/समुदाय अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल हैं;
(4) वह व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय अपने स्थाई निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो उसे अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है यदि उसकी जनजाति उस क्रम में उसके राज्य क्षेत्र में विनिर्दिष्ट की गई हो।

देशान्तरण पर अनुसूचित जनजाति दावेः

1. जहां एक व्यक्ति राज्य के उस भाग से जहां उसका क्षेत्र/समुदाय अनुसूचित है, उसी राज्य के दूसरे भाग में जहां वह समुदाय/क्षेत्र अनुसूचित नहीं है तो वह अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाना जारी रहेगा।
2. यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में देशांतरण करता है तो वह केवल उस राज्य (पूर्व राज्य) के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के सम्बन्ध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है।

अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रः अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित उम्मीदवारों को निर्धारित प्राधिकारियों से निर्धारित प्रपत्र पर अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं :

1. जिला मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त
2. उपमण्डलीय दण्डाधिकारी/राजस्व अधिकारी तहसीलदार से नीचे के पद का नहीं

विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति दावेः मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है उसे अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होना केवल इसलिए नहीं समझा जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति से विवाह कर लिया है।

इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा जो अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

अन्तरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान का निर्धारणः अनुसूचित जनजातीय तथा सामान्य वर्ग या इसके विपरीत अन्तरजातीय विवाह से उत्पन्न सन्तान के निर्धारण के विषय में राज्य कल्याण विभाग के पत्र संख्या : कल्याण–च (10)–32/78 दिनांक 4/5 नवम्बर, 1986 में विस्तृत खुलासा किया गया है।

अध्याय–4

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

जनजातीय विकास विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 उप–नियम 4 (1)(बी) के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की सूचना, कर्त्तव्यभार, कार्य एवं शक्तियां, जो जनता / नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना प्रदान करने में तथा कार्य निष्पादन के स्तर को उन्नत करने में पारदर्शी एवं उत्तरदायी है, का विवरण इस प्रकार है :–

क. सरकार / सचिवालय स्तर पर :

क्रमांक	नाम एवं पद नाम	दूरभाष संख्या	नामित पद
1.	अवर सचिव / उप सचिव / संयुक्त सचिव / अतिरिक्त सचिव / विशेष सचिव (ज0जा0वि0) हि0 प्र0 सरकार (अधिकारी की नियुक्ति पर निर्भर)	कार्यालय 2880479	जन सूचना अधिकारी
2	संयुक्त सचिव / अतिरिक्त सचिव / विशेष सचिव (ज0जा0वि0) हि0 प्र0 सरकार	कार्यालय 2620887	अपीलीय प्राधिकारी यदि अवर सचिव / उप–सचिव राज्य जन सूचना अधिकारी
3.	सचिव (ज0जा0वि0) हि0 प्र0 सरकार	कार्यालय 2622269	अपीलीय प्राधिकारी यदि विशेष सचिव राज्य जन सूचना अधिकारी

ख. राज्य स्तर पर :

क्रमांक	नाम एवं पद नाम	दूरभाष संख्या	नामित पद
1.	संयुक्त निदेशक (ज0जा0वि0) हि0प्र0 बिजलानी हाऊस, शिमला–2	कार्यालय 2621997	जन सूचना अधिकारी
2.	आयुक्त (ज0जा0वि0) हि0प्र0 बिजलानी हाऊस, शिमला–2	कार्यालय 2621997 आवास	अपीलीय अधिकारी

ग. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर :

क्रमांक	नाम एवं पद नाम	दूरभाष संख्या	नामित पद
1.	1. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर स्थित रिकांगपिओ 2. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना लाहौल स्थित केलंग 3. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्पीति स्थित काजा	किन्नौर का0 222273 आ0 222378 लाहौल का0 202262 आ0 202262 स्पीति का0 222302 आ0 222208	सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र में जन सूचना अधिकारी

क्रमांक	नाम एवं पद नाम	दूरभाष संख्या		नामित पद
	4. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना पांगी स्थित किलाड़ 5. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना भरमौर	पांगी का0 242251 आ0 242222 भरमौर का0 225506 आ0 225505		
2.	जिला स्तर पर (एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर, जिला किन्नौर, लाहौल, स्पीति जिला लाहौल–स्पीति, पांगी व भरमौर, जिला चम्बा को छोड़कर)			
	1. जिला योजना अधिकारी सम्बन्धित जिला के लिए	बिलासपुर	222668	जन सूचना अधिकारी
		चम्बा	226166	
		हमीरपुर	222702	
		कांगड़ा	223316	
		कुल्लू	222872	
		मण्डी	225212	
		शिमला	2808399	
		सिरमौर	224219	
		सोलन	223702	
		ऊना	226057	
3.	अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (जहां पर अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त नहीं है)	बिलासपुर	224763	अपीलीय अधिकारी
		चम्बा	222540	
		हमीरपुर	224324	
		कांगड़ा	223322	
		कुल्लू	222226	
		मण्डी	225203	
		शिमला	2657003	
		सिरमौर	222410	
		सोलन	223705	
		ऊना	225188	

इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार नियम 2005 के नियम 4 उप–नियम (1)(बी) में दर्शाये गये प्रावधान के अन्तर्गत विभागीय रिकार्ड तथा अन्य कार्यकलाप दर्शाये जाने का प्रावधान है जो इस प्रकार है :–

माननीय मुख्यमन्त्री, हि0प्र0 जनजातीय विकास विभाग के समग्र निरीक्षक होंगे। वर्तमान में माननीय जनजातीय विकास मन्त्री महोदय जनजातीय विकास विभाग के प्रभारी मन्त्री हैं। जनजातीय विकास विभाग का संगठनात्मक ढांचा इस प्रकार है :

क. सरकार के स्तर पर :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (जनजातीय विकास), हि0प्र0 सरकार
2. विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (इनमें से जो भी कार्यरत हो)
3. अनुभाग अधिकारी (प्रशासनिक शाखा निरीक्षक)

कार्य, शक्तियां तथा कर्त्तव्य इस प्रकार हैं :–

क्रमांक	विवरण	विस्तार
1.	संस्था के कार्यकलाप तथा पद के कर्त्तव्य का विवरण	**जनजातीय विकास विभाग, हि0प्र0** **मुख्य सचिव/अति0 मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, जनजातीय विकास के कार्य निर्वहन कर्त्तव्य विवरण इस प्रकार हैं :–**
		1. जनजातीय क्षेत्रों व राज्य के अनुसूचित जनजातीय सदस्यों के लिए योजना बनाने में समन्वय स्थापित करना। 2. सभी नीतिगत मामले तथा जनजातीय क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति सदस्यों/समुदायों के लिए नई स्कीमों का परिचय। 3. परियोजना सलाहकार समिति, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन। 4. जनजातीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित मामलों में सभी विभागों को परामर्श प्रदान करना। 5. मांग संख्या : 31 के अन्तर्गत बजट सम्बन्धी सभी मामले। 6. जनजातीय क्षेत्र व राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित सभी विभागों के कार्यकलाप में समग्र समन्वय तथा मूल्यांकन करना । **विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप–सचिव/अवर सचिव** ऊपरलिखित सभी मुद्दों पर मुख्य सचिव/अति0 मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (जनजातीय विकास) को सहयोग देना। **अनुभाग अधिकारी** जनजातीय विभाग सचिवालय प्रशासनिक शाखा के प्रभारी होने के साथ–साथ स्थापना, बजट, लेखा सम्बन्धी कार्य की देख–रेख करना।

ख. राज्य स्तर पर :

1. आयुक्त (जनजातीय विकास)
2. अतिरिक्त आयुक्त (जनजातीय विकास)
3. संयुक्त निदेशक (जनजातीय विकास)
4. अधीक्षक ग्रेड-II

1.	संस्था के कार्यकलाप तथा पद के कर्त्तव्य का विवरण	जनजातीय विकास विभाग, (हि0प्र0) कार्यकलाप : हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए जनजातीय विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन, समीक्षा तथा अनुश्रवण करना। कर्त्तव्य : स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जनजातीय विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन, मांग संख्या–31 के बजट में शामिल करना, स्कीमवार बजट आबंटन को कार्यान्वयन विभागों को आईटीडीपी में भेजना, वर्ष के दौरान राशि को पूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से व्यय की समीक्षा बैठकें करना।
2.	अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्त्तव्य	आयुक्त, जनजातीय विकास, हि0प्र0 1. विभागाध्यक्ष 2. पृथक स्कीमों को स्वीकृत करने की पूर्ण शक्तियां, कार्यों के रख–रखाव व मुरम्मत के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने की शक्तियां, स्कीमों के निष्पादन हेतु निर्धारित स्रोत से सामग्री क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां। 3. पृथक कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करना, मशीनरी, औजार व संयंत्रों के मुरम्मत पर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना। 4. भारत सरकार के जनजातीय कार्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा अन्य राज्यों के जनजातीय विभागों के समन्वय स्थापित करना। 5. सही अर्थों के प्रयोजन हेतु मांग संख्या : 31 के अन्तर्गत मुख्य नियन्त्रक अधिकारी की शक्तियां प्राप्त हैं। 6. जनजातीय सलाहकार परिषद, गद्दी कल्याण बोर्ड तथा गुज्जर कल्याण बोर्ड की बैठकों में सदस्य सचिव की शक्तियां प्राप्त हैं। 7. जनजातीय तथा गैर जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों / योजनाओं की प्रगति / समीक्षा बैठकें सम्बन्धित कार्यान्वयन विभागों से करने की शक्तियां। 8. परियोजनाओं / स्कीमों / नये कार्यों / चालू कार्यों के निरीक्षण की शक्तियां।

अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास, हि0प्र0

1. ऊपरलिखित सभी मुद्दों पर आयुक्त, जनजातीय विकास को सहयोग देना।

संयुक्त, निदेशक, जनजातीय विकास

1. कार्यालयाध्यक्ष
2. आयुक्त, जनजातीय विकास को प्रशासन में, जनजातीय विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में, बजट बनाने में, अनुसूचित जनजाति कल्याण में कार्यरत राज्य के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष तथा केन्द्रीय जनजातीय कार्य मन्त्रालय के मध्य समन्वय स्थापित करने इत्यादि कार्यों में सहायता प्रदान करना।
3. जनजातीय विकास विभाग में श्रेणी–II, श्रेणी-III तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, चिकित्सा भत्ता व अन्य भत्तों के सन्दर्भ में नियन्त्रक अधिकारी की शक्तियां प्रदान हैं।
4. जनजातीय सलाहकार परिषद, गद्दी कल्याण बोर्ड, गुज्जर कल्याण बोर्ड के सदस्यों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता बिलों के लिए नियन्त्रक अधिकारी।
5. जनजातीय क्षेत्र/गैर जनजातीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित कार्यों को कार्यान्वित करने वाले विभागों के साथ समीक्षा बैठकें करना।
6. विभागीय गाड़ियों के लिए नियन्त्रक अधिकारी की शक्तियां।
7. समीक्षा बैठकों में भाग लेना

अनुसन्धान अधिकारी (मुख्यालय)

आहरण एवं वितरण अधिकारी

संयुक्त निदेशक के कार्यों में सहायता करना तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर दिये गये कर्त्तव्य को निपटाना।

सहायक अनुसन्धान अधिकारी

1. जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास में जन सहयोग स्कीमों की प्रक्रिया शुरु करना, मांग संख्या–31 के अन्तर्गत बजट, परियोजना क्षेत्रवार/स्कीमवार बजट तैयार करना, जनजातीय विकास कार्यक्रम स्कीमों/सीमा क्षेत्र विकास स्कीमों की मासिक/त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा विशेष केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित सभी

प्रकार का पत्राचार तथा रिकार्ड रखना।

2. सभी प्रकार की रिपोर्ट तैयार करना
3. लोक लेखा समिति और विधान सभा आश्वासनों का कार्य करना।

सांख्यिकीय सहायक

जनजातीय विकास कार्यक्रम को तैयार करने की प्रक्रिया शुरु करना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास में जन सहयोग स्कीमों की प्रक्रिया शुरू करना, मांग संख्या : 31 के अन्तर्गत बजट तैयार करना, परियोजना क्षेत्रवार/स्कीमवार बजट तैयार करना, जनजातीय विकास कार्यक्रम/सीमा क्षेत्र विकास योजना की मासिक/त्रैमासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।

कनिष्ठ कार्यालय सहायक

मानव विकास, सरकारी संस्थानों, नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के सूत्र X-36 के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूचना इत्यादि से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करना तथा इस सूचना को कम्प्यूटर में फीड करना।

प्रशासनिक कक्ष

अधीक्षक ग्रेड–II

जनजातीय भवन ढली के प्रबन्धक पद के कार्य को देखना।

अधीक्षक ग्रेड–II

1. अधीक्षक ग्रेड-II की देख–रेख में विभाग की प्रशासनिक शाखा के कार्यों का निरीक्षण।
2. सभी तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तैनात करना, चालकों की तैनाती तथा प्रतिदिन कार्यों की देख–रेख करना।
3. सभी कार्यकारी कर्मचारियों के रजिस्टर इत्यादि चैक करना तथा उन्हें अद्यतन स्थिति में रखना।
4. अनुभाग तथा उच्च अधिकारियों के बीच डाक तथा फाईलों को भेजने तथा लाने की निगरानी रखना।
5. समयबद्ध/न्यायिक मामलों को समय पर प्रस्तुत करना
6. कानून नियमावली, नियम, निर्देश, गार्ड–फाईल, अनुभाग के पूर्वता रजिस्टरों को अद्यतन स्थिति में रखना।

निजी सहायक

अधिकारियों को निम्न कार्यों में सहयोग देना :

1. दिन–प्रतिदिन बैठकों की सारणी रखना
2. सम्बन्धित अधिकारी के टैलीफोन कॉल की अनुपालना
3. श्रुतलेखन तथा टाईप का कार्य
4. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिए गये अन्य निर्देशों की अनुपालना।

वरिष्ठ सहायक

1. नई नस्तियों को खोलना तथा उनका रख–रखाव करना, सन्दर्भ ढूंढना, मामलों को नस्ति पर डील करना, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, विभिन्न प्रकार के डाटा को अद्यतन स्थिति में रखना तथा विभिन्न रजिस्टरों को संभाल कर रखना।
2. स्थापना सम्बन्धी सभी कार्य जिसमें भर्ती एवं पदोन्नति नियम शामिल हैं, सर्विस बुक, सर्विस रिकार्ड, छुट्टियों का लेखा–जोखा, पैन्शन कागजात, अनुशासनात्मक मामले तथा निजी नस्तियों का रख–रखाव तथा उन्हें सम्भाल कर रखना।

कनिष्ठ सहायक/लिपिक

1. सभी कर्मचारियों/अधिकारियों का आकस्मिक अवकाश रिकार्ड रखना।
2. स्टोर सम्बन्धी कार्य, डाक का प्रेषण, डायरी करना तथा टंकण सम्बन्धी कार्य करना।
3. वरिष्ठ सहायक द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले कार्यों का निपटाना तथा वरिष्ठ सहायक के कार्य को निपटाने में उसकी मद्द करना।
4. शीतकाल में जनजातीय क्षेत्रों के लिए की जाने वाली हैलीकॉप्टर की उड़ानों का संचालन करना।

वरिष्ठ/कनिष्ठ आशुलिपिक

अधिकारी को निम्न कार्यों में सहायता देना :

1. दिन–प्रतिदिन की कारगुजारी बारे अधिकारी को अवगत करवाना तथा बैठक बारे अवगत करवाना।
2. अधिकारी की टैलीफोन कॉल सुनना
3. श्रुतलेखन तथा टाईंपिंग कार्य
4. अधिकारी द्वारा बताये गये अन्य कर्त्तव्यभार
5. विभाग का टाईप सम्बन्धी कार्य

ग. **एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर :**

1. आवासीय आयुक्त / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी

2. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, किन्नौर, लाहौल, स्पीति, पांगी तथा भरमौर

इनके कार्य, शक्तियां इस प्रकार हैं :

1. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर कार्यरत सभी विभागों के विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्राप्त हैं।

2. पृथक–पृथक स्कीमों को स्वीकृत करने की पूर्ण शक्तियां, कार्यों के रख–रखाव व मुरम्मत के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने की शक्तियां, इकहरी प्रशासन प्रणाली के अन्तर्गत स्कीमों के निष्पादन हेतु निर्धारित स्रोत से सामग्री क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियां।

3. अनुसूचित जनजाति के हित के लिए चलाई जा रही स्कीमों / योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभागों के साथ बैठकें करना तथा कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना।

4. चालू कार्यों / स्कीमों / परियोजनाओं तथा नये कार्यों का निरीक्षण करना।

परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर

1. जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन, समीक्षा बैठकों तथा जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम राशि की उपयोगिता में आवासीय आयुक्त / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की सहायता करना।

2. परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार समिति की बैठक के दौरान सदस्य सचिव की भूमिका निभाना।

3. जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विकासात्मक कार्यों / स्कीमों जैसे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नाभिक बजट स्कीम, विकास में जन सहयोग तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना सम्बन्धी समीक्षा बैठकों का कार्य संचालन करना।

4. आयुक्त (जनजातीय विकास) तथा क्षेत्रीय कार्यकताओं के साथ समन्वय करना।

5. जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यों / स्कीमों की मासिक / त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट आयुक्त (जनजातीय विकास) के कार्यालय में भेजना।

अनुसन्धान अधिकारी (एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर)

1. विभिन्न प्रकार के नियत किये गये कार्यों के सन्दर्भ में परियोजना अधिकारी को सहयोग देना।

सहायक अनुसन्धान अधिकारी

1. जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास में जन सहयोग, मांग संख्या–31 के अन्तर्गत बजट, विभागवार/स्कीमवार बजट तैयार करना, उपरोक्त स्कीमों की मासिक/त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा विशेष केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित सभी प्रकार के पत्राचार तथा रिकार्ड करना।
2. रिपोर्ट तैयार करना।
3. लोक लेखा समिति और विधान सभा आश्वासनों सम्बन्धी कार्य।
4. पुनर्विनियोजन/विचलन मामलों में कार्यवाही करना

सांख्यिकीय सहायक

जनजातीय विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास में जन सहयोग तथा मांग संख्या : 31 के अन्तर्गत बजट सम्बन्धी कार्य, परियोजना क्षेत्रवार/स्कीमवार बजट तैयार करना। उपरोक्त स्कीमों की मासिक/ त्रैमासिक वित्तीय/ भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना ।

कनिष्ठ कार्यालय सहायक

मानव विकास, सरकारी संस्थानों, नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के सूत्र X-36 के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूचना इत्यादि से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करना तथा इस सूचना को कम्प्यूटर में फीड करना।

अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (गैर–जनजातीय जिलों के लिए)

विशेष केन्द्रीय सहायता और जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमों का समन्वय तथा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन।

जिला योजना अधिकारी

राज्य के गैर–जन जातीय क्षेत्रों/माडा पॉकेट में रह रहे बिखरी

		हुई जनजातियों के विकास और कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं व अन्य सम्बन्धित कार्यों का मूल्यांकन/समीक्षा।
3.	पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व सम्बन्धी निर्णयन कार्य प्रक्रिया कार्यविधि	राज्य में जनजातीय उप–योजना की धारणा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1974–75 से अपनाई गई थी। सरकार की योजना नीति अनुसार प्रतिवर्ष राज्य योजना आकार राशि का 9 प्रतिवर्ष भाग जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए चिन्हांकित किया जाता है। राज्य योजना विभाग, राज्य योजना परिव्यय का अधिकतम 9 प्रतिशत हिस्सा जनजातीय विकास विभाग को उपलब्ध कराता है, जनजातीय विकास विभाग द्वारा इन परिव्ययों को प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं जैसे किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित फार्मूला 20 प्रतिशत क्षेत्र, 40 प्रतिशत जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत आपेक्षिक पिछड़ापन पर आधारित है, के अनुसार निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है :–

किन्नौर	30 प्रतिशत
लाहौल	18 प्रतिशत
स्पिति	16 प्रतिशत
पांगी	17 प्रतिशत
भरमौर	19 प्रतिशत

प्रत्येक परियोजना क्षेत्र की अपनी–अपनी प्राथमिकताएं होती हैं जिनके आधार पर धन का आबंटन उस क्षेत्र से सम्बद्ध कार्यों/स्कीमों के लिए किया जाता है। उपरोक्त आबंटन के आधार पर प्रत्येक परियोजना क्षेत्र अपनी योजना तैयार करते हैं जिसमें परियोजना सलाहकार समिति जिसमें सभापति सम्बन्धित विधायक या उपायुक्त होते हैं, की मंजूरी ली जाती है। परियोजना सलाहकार समिति द्वारा पारित की गई जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को जनजातीय विकास विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर संकलित करके सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के परामर्श उपरान्त अन्त में इसे जनजातीय उप–योजना में शामिल किया जाता है। जनजातीय विकास विभाग द्वारा जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जाता है तथा विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्रदान की गई धनराशि की उपयोगिता के लिए जिम्मेदार हैं इसके लिए विभिन्न स्कीमों का अनुश्रवण किया जाता है।

4.	कार्य के निष्पादन हेतु स्थापित किये गए मानक	जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने की अवधि सीमित है। अधिक ठंड तथा बर्फ गिरने के कारण कार्यों के निष्पादन हेतु व्यय मानक इस प्रकार रखे गये हैं :

तिमाही	तिमाही के मानक	संचित मानक
प्रथम	20 प्रतिशत	20 प्रतिशत
द्वितीय	40 प्रतिशत	60 प्रतिशत

		तृतीय	25 प्रतिशत	85 प्रतिशत
		चतुर्थ	15 प्रतिशत	100 प्रतिशत

5. **कार्य के निष्पादन हेतु कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली तथा अभिलेख**

विभिन्न प्रकार के कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश/नियमावली, का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. सी0सी0एस0 लीव रूल्ज़, 1972
2. सीसीएस एण्ड सीसीए रूल्ज़
3. एचपीएफआर रूल्ज़
4. एचपीएफआर एण्ड एसआर रूल्ज़
5. मैडिकल एटैन्डैन्स रूल्ज़
6. जनरल फाईनॉन्स रूल्ज़
7. एचबी एडवान्स रूल्ज़
8. डेलीगेशन ऑफ फाईनेन्सियल पॉवर रूल्ज़
9. लीव–ट्रैवल कन्सैशन रूल्ज़
10. बजट मैनुअल
11. ऑफिस मैनुअल
12. व्हीकल रूल्ज़
13. पैंशन रूल्ज़
14. जीपीएफ रूल्ज़

6. **विभाग के पास उपलब्ध श्रेणीबद्ध दस्तावेजों का विवरण**

1. वार्षिक जनजातीय उप–योजना दस्तावेज
2. जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्रवार/स्कीमवार बजट परिव्यय पुस्तिका।
3. परियोजना क्षेत्रवार निर्माण कार्यों की सूची
4. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
5. सांख्यिकीय प्रोफाईल

7. **नीति निर्धारण तथा उसके कार्यान्वयन हेतु जन सदस्यों के परामर्श तथा अभ्यावेदन हेतु उपलब्ध व्यवस्था के**

परियोजना सलाहकार समिति : प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के लिए परियोजना सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता स्थानीय विधायक या सम्बन्धित उपायुक्त करते हैं। सम्बन्धित क्षेत्रों के संसद सदस्य, जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के क्रमशः दो–दो सदस्य, सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के जनजातीय सलाहकार परिषद् के सदस्य तथा परियोजना क्षेत्र के सभी

	विषय	विभागों के अधिकारी जिसमें बोर्ड तथा कार्पोरेशन भी शामिल हैं, ये सभी परियोजना सलाहकार समिति के सदस्य हैं । सामान्यतः आवासीय आयुक्त/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी समिति के उपाध्यक्ष हैं होते हैं। परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना इस समिति के सदस्य सचिव हैं। परियोजना सलाहकार समिति अपने सम्बन्धित परियोजना क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को बनाने, क्रियान्वयन करने तथा इसकी समीक्षा का कार्य करती है। **जनजातीय सलाहकार परिषद्** : भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 (i) भाग–बी के पैरा–4 के अन्तर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद् का गठन हुआ है। इस परिषद् का गठन 13–12–1977 को किया गया। इसके गठन के बाद पहली बैठक दिनांक 24–6–1978 को हुई थी, तत्पश्चात् इस परिषद् की अब तक 48 बैठकें हो चुकी हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद् के कुल 24 सदस्य हैं जिसमें अध्यक्ष (मुख्य मन्त्री) भी शामिल हैं। यद्यपि स्वभाव से यह परिषद् परामर्शदात्री है परन्तु परम्परानुसार इसके माध्यम से की गई सिफारिशें आमतौर पर सरकार द्वारा मान ली जाती है या कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिन्हें विचार–विमर्श के बाद परिषद् द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, इसके अतिरिक्त यह परिषद् जनजातीय उप–योजना के कार्यान्वयन का कार्य भी देखती है।
8.	बोर्डों, कौंसिल, कमेटी तथा अन्य निकायों का विवरण जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों का गठन, या परामर्श हेतु क्या इन बोर्डों, कौंसिल, कमेटी तथा अन्य निकायों की बैठकों का विवरण जनता के लिए उपलब्ध है या इन बैठकों की कार्यवाही का विवरण जनता को मान्य है,	परियोजना सलाहकार समिति की बैठकें तिमाहीवार प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में की जाती हैं जबकि जनजातीय सलाहकार परिषद् की बैठकें वर्ष में दो बार की जाती है। इन समितियों/परिषद् के सरकारी/गैर –सरकारी सदस्य ही बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु इन बैठकों के कार्यवाही विवरणों की यदि आम जनता को आवश्यकता हो तो इसे उपलब्ध करवाया जा सकता है।
9.	अधिकारियों व कर्मचारियों की निर्देशिका	1. आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग, हि0प्र0 2. अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास, हि0प्र0 3. संयुक्त निदेशक, जनजातीय विकास विभाग, हि0प्र0 4. उप–निदेशक, जनजातीय विकास विभाग, हि0प्र0 5. परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर।

6. अनुसन्धान अधिकारी, (मुख्यालय/परियोजना स्तर पर)

7. अधीक्षक ग्रेड-II

8- निजी सहायक ग्रेड-II

9. सहायक अनुसन्धान अधिकारी (मुख्यालय तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर पर)

10. सांख्यिकीय सहायक

11. वरिष्ठ सहायक

12. वरिष्ठ आशुलिपिक

13. कनिष्ठ आशुलिपिक

14. कनिष्ठ सहायक/लिपिक

15. गणक–एवं–टंकक (अब कनिष्ठ कार्यालय सहायक)

16. वाहन चालक

17. चपड़ासी

18. दैनिक वेतन भोगी अन्य स्टाफ

10.	प्रत्येक का मासिक पारिश्रमिक	1. आयुक्त ज0जा0वि0	Rs. 148800-218600 लेवल–31
		2. अतिरिक्त आयुक्त ज0जा0वि0	Rs. 129700-214300 लेवल–30
		3. संयुक्त निदेशक	Rs. 83600-203100 लेवल–23
		4. उप–निदेशक	Rs. 67400-201200 लेवल–21
		5. परियोजना अधिकारी	Rs. 56100-177500 लेवल–18
		6. अनुसन्धान अधिकारी	Rs. 48700-154300 लेवल–16
		7. अधीक्षक ग्रेड–II	Rs. 43000-136000 लेवल–12
		8. निजी सहायक	Rs. 43000-136000 लेवल–12
		9. सहायक अनुसन्धान अधिकारी (at HQ and ITDP)	Rs. 43000-136000 लेवल–12
		10. सांख्यिकीय सहायक	Rs. 38500-122700 लेवल–11
		11. वरिष्ठ सहायक	Rs. 38500-122700 लेवल–11
		12. वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	Rs. 38500-122700

			लेवल–11
		13. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	Rs. 28900-91600 लेवल–7
		14. लिपिक	Rs. 20200-64000 लेवल–3
		15. गणक एवं टंकक (अब कनिष्ठ कार्यालय सहायक)	Rs. 20200-64000 लेवल–3
		16. वाहन चालक	Rs. 21300-67800 लेवल–5
		17. चपड़ासी / चौकीदार	Rs. 18000-56900 लेवल–1
		18. दैनिक भोगी कार्यकर्ता	वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों अनुसार।

		उपरोक्त वेतनमान के अतिरिक्त सभी देय भत्ते भी दिये जाते हैं।
11.	प्रत्येक अभिकरण को बजट के आबंटन तथा योजना, प्रस्तावित व्यय व अदायगी रिपोर्टों का विवरण।	मुख्यालय तथा परियोजना स्तर पर प्रत्येक कार्यालय को बजट का आबंटन मानकवार किया जाता है तथा व्यय का निरन्तर अनुश्रवण किया जाता है।
12.	उपदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत आबंटित राशि के कार्यान्वयन का तरीका तथा इन कार्यक्रमों से लाभान्वित लाभार्थियों का विवरण।	जनजातीय विकास विभाग उपदान से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सीधे तौर पर कार्यान्वित नहीं करता।
13.	सुविधा परमिट पाने वाले के उदाहरण जिन्हें प्राधिकृत किया गया हो।	जनजातीय विकास विभाग के कर्मचारियों को इस प्रकार की कोई भी सुविधाएं / परमिट प्रदान नहीं किये गये हैं।
14.	सूचना की उपलब्धता बारे विवरण जिसे	स्कीमवार / विभागवार योजना परिव्यय उपलब्ध है

	इलैक्ट्रोनिक रूप में घटाकर रखा गया हो।	
15.	सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों की सुविधा बारे विवरण जिसमें जनता के लिए, लाईब्रेरी या वाचनालय यदि कोई भी हो शामिल है ।	आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग का आयुक्त कार्यालय तथा परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यालय अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों तथा धनराशि के आबंटन बारे आम जनता द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यालय हमेशा खुले हैं जिससे आम जनता सूचना प्राप्त कर सकती है। यह कार्यालय सप्ताह में छः दिन (छुट्टी को छोड़कर) सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक खुले रहते हैं।
16.	जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण।	जैसा कि अध्याय 4 में दर्शाया गया है।
17.	ऐसी कोई अन्य सूचना जिसे निर्धारित किया जाना हो, तदोपरान्त प्रतिवर्ष इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जाना हो।	राज्य स्तर तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना स्तर की सांख्यिकीय प्रोफाईल।

इस नये एक्ट के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशनों के अनुसार उपरोक्त अधिकारियों द्वारा समय रहते आवश्यक तैयारी बारे पग उठाये जाएं व तैयारी बारे पग उठाये जाएंगे।

वर्ष 2023–24 के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त पत्रों के निपटारे सम्बधी ब्योरा अगले पृष्ठ पर दिया गया हैः

PROFORMA FOR FURNISHING OF INFORMATION TO STATE INFORMATION COMMISSION HIMACHAL PRADESH FOR THE ANNUAL REPORT 2023-24 (under Section 25 of the Right to Information Act, 2005) As on March 31, 2024

Sl. No.	Name of the Public Authority under the Department	No. of request received	Decision where request were rejected					Appeal filed before the Appellant Authority			Appeals filed before the State Information Commission			No. of cases where disciplinary action was taken against any office in respect of administration of act	Amount of charges collected
			Number of Decision	No. of times various provision were involved				No. of appeals	Outcome of appeals		No. of appeals	Outcome of appeals			
				Sec. 8	Sec. 9	Sec. 11	Sec. 24		Appeals accepted	Appeals rejected		Appeals accepted	Appeals rejected		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
State Level Public Authority															
1.	Joint Director Tribal Dev. Deptt.)	3 Nos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564.00
Integrated Tribal Development Project Level															
1.	Project Officer, ITDP, Bharmaur	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Project Officer, ITDP, Kinnaur at Reckong Peo	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Project Officer, ITDP, Spiti at Kaza	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Project Officer, ITDP, Lahaul at Keylong	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Project Officer, ITDP, Pangi at Killar	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note.*—Only 3 requests have been received in the Department during the year 2023-24 and all disposed off at the level of P.I.O.*

अनुबन्ध–क

जनजातीय विकास विभाग संगठन चार्ट

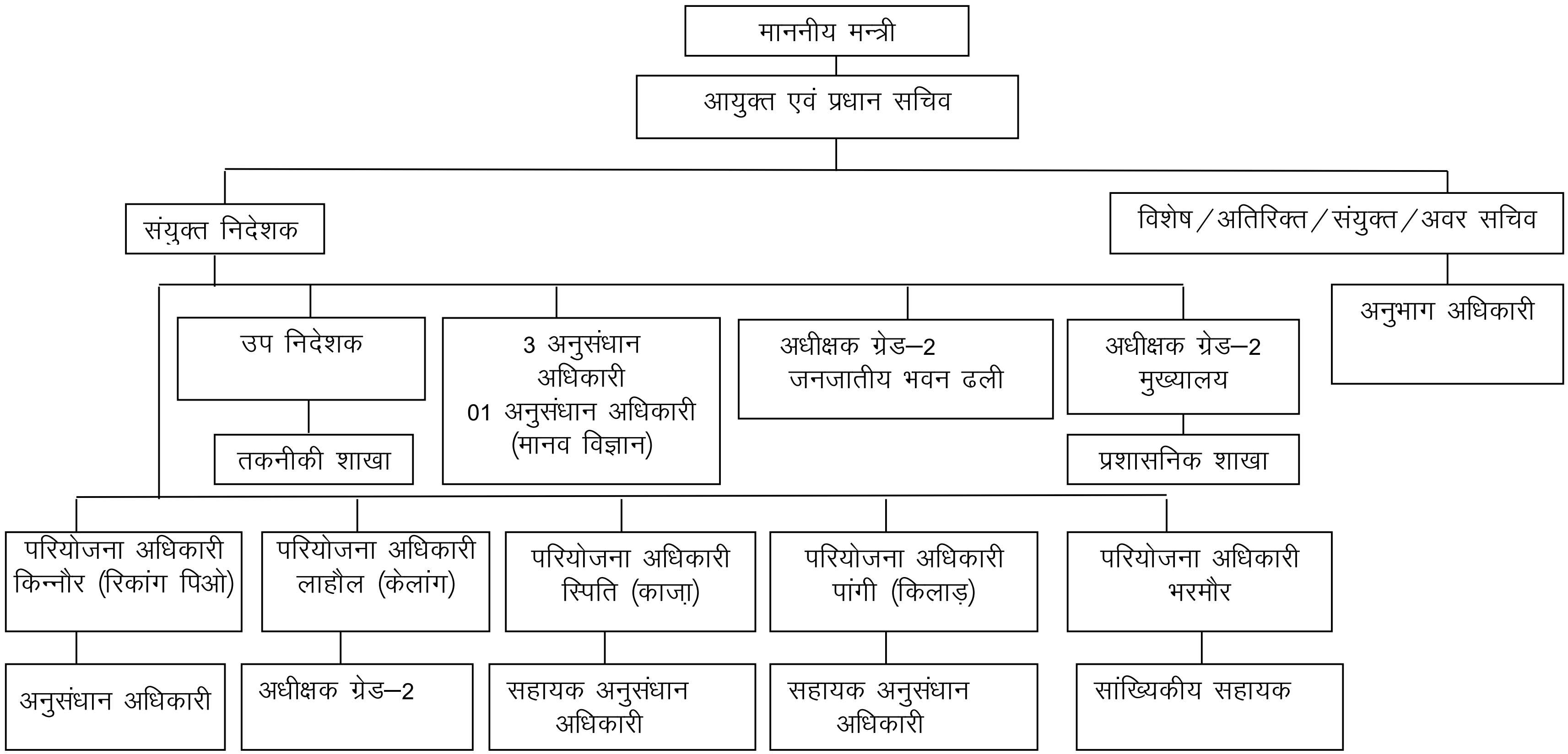

Head of Dev.-wise Actual Exp. 2022-23 and Anti. Exp. 2023-24 (Rs. in Lakh)			
Major Head of Dev.	**Annual Plan 2022-23**	**Annual Plan 2023-24**	
	Actual Exp.	**App. Outlay**	**Anti. Exp.**
1	**2**	**3**	**4**
A.ECONOMIC SERVICES			
I. Agriculture & Allied Activities:			
Crop Husbandry:			
a) Agriculture	1679.01	1431.00	1431.00
b) Horticulture	2833.89	1728.00	1728.00
Soil & Water Conservation			
a) Agriculture	699.37	244.00	244.00
b) Forests	522.51	500.00	500.00
Animal Husbandry	365.82	451.00	451.00
Dairy Development	317.00	1194.00	1194.00
Fisheries	85.54	84.00	84.00
Forests			
i) Forestry	1889.05	1556.00	1556.00
ii) Wild Life	181.92	760.00	760.00
Agriculture Research Education:			
a)Agriculture	0.00	0.00	0.00
b)Horticulture	0.00	0.00	0.00
c) Animal Husbandry	0.00	0.00	0.00
d) Forests	0.00	0.00	0.00
e) Fisheries	0.00	0.00	0.00
Marketing and quality control			
a) Horticulture	0.00	0.00	0.00
B) Co-operation	43.00	27.00	27.00
Total Agriculture & Allied Activities	**8617.11**	**7975.00**	**7975.00**
II. Rural Development:			
a) Special Programme	346.65	1482.00	1482.00
b) Community Dev.	2113.98	209.00	209.00
c) Land Reforms	473.49	172.00	172.00
d) Panchayats	80.00	182.00	182.00
Total II Rural Dev.	**3219.62**	**2251.00**	**2251.00**
III. Special Area Programme :			

BORDER AREA DEVELOPMENT PROG.(BADP)			
Border Area Dev. Prog.	**206.56**	**150.00**	**150.00**
IV. Irrigation & Flood Control :			
Major & Medium Irrigation			
Minor Irrigation:			
a) I&PH Deptt.	1653.80	1201.00	1201.00
Command Area Dev.			
Flood Control	666.08	250.00	250.00
Total IV Irrigation & Flood Control	**2319.88**	**1451.00**	**1451.00**
V. Energy :			
Power			
1. Generation			
a) Equity Partcipation to HP Power Corp. (Gen.)	2258.00	1500.00	1500.00
b) ADB Share to Power Projects (Loan)	00.00	27.00	27.00
2. Transmission & Distribution			
a) Equity to Transmission & Distribution	63.00	72.00	72.00
b) Loan for T&D Corp	0.00	62.00	62.00
c) Subsidy on A/C of Tariff Roll Back	11119.33	8871.00	8871.00
d) Smart Grid under HHP &RDP (EAP)	9.00	0.00	0.00
e) Equity to HPSEB Ltd.	312.00	625.00	625.00
f) Biogas Development			
g) Non-con. Source of Energy	245.00	350.00	350.00
Total: Energy	**14006.33**	**11507.00**	**11507.00**
VI. Industry & Minerals :			
Village & Small Industry	650.00	568.00	568.00
Large & Medium Industry	0.00	0.00	0.00
Mineral dev.	0.00	0.00	0.00
Total-VI-Industry & Minerals	**650.65**	**568.00**	**568.00**
VII. Transport :			
Civil Aviation	65.26	6054.00	6054.00
Roads & Bridges	11432.71	15121.00	15121.00
Maintenance of roads	0.00	0.00	0.00
Road Transport:			

Road Transport:	7283.79	6344.00	6344.00
Inland Water Transport	0.00	0.00	0.00
Other Transport Services			
i) Ropeways/Cableways	150.00	11.00	11.00
ii) Telecommunication	0.00	0.00	0.00
Rail Transport	0.00	0.00	0.00
Total VII-Transport	**18781.76**	**27519.00**	**27919.00**
VIII. Communication :			
Information Technology	289.98	300.00	300.00
IX. Treasury & Accounts			
World Bank Assisted IFMS (EAP)	0.00	162.00	162.00
IX. Treasury & Accounts	**0.00**	**162.00**	**162.00**
X. General Economic Service :			
Sectt. Eco. Services	0.00	0.00	0.00
State Planning Machinery	0.00	0.00	0.00
Excise & taxation	0.00	0.00	0.00
Tourism	129.79	5214.00	5214.00
Survey & Statistics	0.00	0.00	0.00
Civil Supplies	2260.81	2174.00	2174.00
Other Gen. Eco. Services			
Weights and Measures	0.00	0.00	0.00
General Administration	0.84	1.00	1.00
Other (IF&PE)	0.00	0.00	0.00
Distt. Planning	0.00	0.00	0.00
Consumer Forum	0.00	0.00	0.00
Biotechnology	0.00	0.00	0.00
Information Technology	0.00	0.00	0.00
Total: X-General Eco. Service	**3554.44**	**7751.00**	**7589.00**
TOTAL-A-ECONOMIC SERVICES:	**51439.77**	**59322.00**	**59322.00**
B.SOCIAL SERVICES			
XI. Social Services :			
1. Education & Allied Sports			
a) General Education			
i) Elementary Education	1293.09	1525.00	1525.00
ii) Secondary Education	2455.24	1317.00	1317.00
iii) University & Higher Education	281.71	286.00	286.00

iv) Technical Education	1250.00	1250.00	1250.00
v) Technical Education (Craftsmen & Training)	0.00	0.00	0.00
vi) Art & Culture	378.18	100.00	100.00
vii) Sports & Youth Services	491.73	245.00	245.00
viii) Language Development	0.00	0.00	0.00
ix) Physical Education	0.00	0.00	0.00
Others:			
i) Mountaineering & Allied Sports	6.50	15.00	15.00
ii) Gazetteers	0.00	0.00	0.00
iii) Adult Education	0.00	0.00	0.00
Total-Education & Allied Sports	**6156.45**	**4777.00**	**4777.00**
Health			
a) Allopathy	2296.26	3826.00	3826.00
b) Ayurveda	247.44	294.00	294.00
c) Medical Education & Research	690.63	657.00	657.00
Total 2: Health	**3234.33**	**4777.00**	**4777.00**
i) Water Supply & Sanitation			
a) Urban Water Supply	0.00	0.00	0.00
b) Rural Water Supply including remodeling	2066.35	3909.00	3909.00
Sewerage	0.00	0.00	0.00
c) Rural sanitation	0.00	0.00	0.00
ii) Housing			
a) Pooled Govt. Housing	293.46	579.00	579.00
b) Housing Department	0.00	0.00	0.00
c) Rural Housing (State Housing Scheme/RAY)	0.00	0.00	0.00
d) Police Housing	359.34	447.00	447.00
e) State Forensic Science Lab. Junga	0.00	0.00	0.00
f) Housing Loans to Govt. employees	0.00	0.00	0.00
iii) Urban Development:			

a) Town and country planning	134.00	280.00	280.00
b) Environment of Urban Slums	0.00	0.00	0.00
c) GIA to Urban Local Bodies	0.00	0.00	0.00
d) Urban Development	23.22	7.00	7.00
Total: 3-Water Supply, San. Housing & Urban Development	**2876.37**	**5222.00**	**5222.00**
Information & Publicity	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Welfare of SCs/STs/OBCs			
a) Welfare of SCs/STs/OBCs	582.51	303.00	303.00
b) Social Welfare	2316.56	2799.00	2799.00
c) SCs/STs Dev. Corp.	0.00	50.00	50.00
Total:5-Welfare of SCs/STs OBCs	**2899.07**	**3152.00**	**3152.00**
Labour & Labour Welfare	**122.21**	**1116.00**	**1116.00**
WOMEN & CHILD DEV. INCLUDING NUTRITION			
a) Child Welfare	1078.85	1682.00	1682.00
b) Women Welfare	67.27	555.00	555.00
Women dev. corp.			
Other voluntary org.			
c) SNP Including ICDS	11.37	71.00	71.00
Total: Women & Child Dev. incl. nutrition	**1157.49**	**2308.00**	**2308.00**
Total: B- Social Services	**16445.92**	**21313.00**	**21313.00**
C. GENERAL SERVICES:			
XII. General Services			
Stationery & Printing	0.00	0.00	0.00
Public Works	572.34	301.00	301.00
Others:			
Revenue Deptt.			
a) HIPA	0.00	0.00	0.00
b) Nucleus Budget	180.00	180.00	180.00
i) People's participation in field Dev. (VMJS)	541.36	610.00	610.00
ii)) Vidhayak Kashetra Vikas Nidhi Yojana	204.93	210.00	210.00
c) Tribal Dev. Machinery	46.57	3167.00	3167.00
d) Police Telecommunication	0.00	0.00	0.00
e) Judiciary	17.88	101.0	101.0
f) Prision Deptt.	200.00	200.00	200.00

g) Fire Services	208.90	100.00	100.00
h) Home Guard Deptt.	0.00	0.00	0.00
i) Vigilance Deptt.	60.00	60.00	60.00
Total: C- General Services:	**2031.98**	**4929.00**	**4929.00**
TOTAL (A+B+C)	**70124.23**	**85714.00**	**85714.00**